



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253376
CG-DL-E-26032024-253376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1474]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1946

No. 1474]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

का.आ. 1543(अ).—राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अनुसरण में, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 2024 है।

(2) ये 01 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. छूट देने की शक्ति- राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा-

(क) किसी प्राधिकारी के संबंध में इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधों में छूट दे सकेगा;

(ख) इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(ग) किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों को उस सीमा तक कम कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं;

(घ) इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त शर्तें अभिरोपित कर सकेगा; और

(ङ) इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित सभी या किन्हीं शक्तियों को किसी भी प्राधिकारी से वापस ले सकेगा।

3. परिभाषाएं- (i) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "प्रशासक" से, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से, इन नियमों से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है।

(ग) "विनियोग" से, अनुदत्त या भारित खंड में उपदर्शित सेवाओं के संबंध प्रभार चुकाने के लिए निधियों का समनुदेशन अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से, इन नियमों में से किसी नियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्ति के संबंध में, राष्ट्रपति या ऐसे अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत हैं, जिन्हें इन नियमों द्वारा या इनके अधीन या किसी अन्य साधारण या विशेष नियम या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की गई है;

(ङ) "भारत सरकार का विभाग" से, कोई भी मंत्रालय, विभाग, सचिवालय और भारत सरकार की पहली अनुसूची (कार्य आवंटन नियम) में सूचीबद्ध और समय-समय पर यथा अधिसूचित कार्यालय और उपराष्ट्रपति सचिवालय अभिप्रेत है;

(च) "वित्त मंत्रालय" से, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है:

परंतु भारत सरकार के किसी विभाग में, जहां एकीकृत वित्तीय सलाहकार की स्कीम प्रवृत्त है, वहां उस विभाग का एकीकृत वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग वित्त मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए करेगा।

(छ) "विभागाध्यक्ष" से कोई ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति (जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो और उसके समकक्ष), अभिप्रेत है जिसे एक पहचान योग्य स्थापन या स्थापनों के संबंध में इन नियमों के अधीन उसे प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत सरकार के संबंधित विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष (एचओडी) के रूप में घोषित किया गया हो।

(ज) "कार्यालयाध्यक्ष" से, ऐसा राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उस रूप में पदाभिहित किया गया हो जो प्रशासकों और विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ है;

(झ) "वित्त मंत्रालय" से, वित्त मंत्रालय में इस विषयवस्तु से संबंधित विभाग अभिप्रेत है;

(ञ) "परियोजनाओं" से, पूंजीगत आस्तियां अथवा अन्यथा का सृजन करने के परिणामस्वरूप एकबारगी ऐसा व्यय अभिप्रेत है, जिससे वित्तीय या आर्थिक आय या दोनों प्राप्त हो सकती है और ऐसी परियोजनाएं या तो अलग हो सकती हैं अथवा अनुमोदित स्कीम का भाग हो सकती हैं।

(ट) "पुनर्विनियोग" से, किसी ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुदान या विनियोग के एक ही अनुभाग (राजस्व अनुभाग और पूंजी अनुभाग) के भीतर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य ऐसी इकाई निधि का अंतरण अभिप्रेत है;

(ठ) "आवर्ती व्यय" से, ऐसा व्यय अभिप्रेत है जो एक ही प्रयोजन के लिए आवधिक अंतरालों पर उपगत किया जाता है और आवर्ती व्यय से भिन्न व्यय गैर-आवर्ती व्यय है;

(ड) "स्कीम" से, ऐसे कार्यक्रमों से अभिप्रेत है जिनके माध्यम से भारत सरकार के विभाग माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों को परिदान करने के लिए संसाधनों का व्यय करते हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त निबंधन और अभिव्यक्तियाँ और जो यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु साधारण वित्तीय नियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त साधारण वित्तीय नियम में उनको सौंपे गए हैं।

4. **संसद द्वारा निधियों का उपबंध -** विनियोग विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने और उस पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात्, स्वीकृत व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार के संबंधित विभागों को इस प्रकार प्राधिकृत रकम उपलब्ध हो जाती है।

5. **व्यय स्वीकृत करने की शक्तियों संबंधी साधारण शर्तें-** (1) कोई प्राधिकारी वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना व्यय अथवा अग्रिम मंजूर नहीं करेगा, यदि ऐसे किसी इसमें नए सिद्धांत अथवा प्रक्रिया को आरंभ करना शामिल है जिसका परिणाम भविष्य में वर्धित व्यय हो सके है।

(2) अधीनस्थ प्राधिकारी किसी ऐसे साधारण या विशेष आदेश, या निदेश के अधीन रहते हुए व्यय मंजूर करने की शक्ति का प्रयोग करेगा जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित या पुनःप्रत्यायोजित करने वाला प्राधिकारी समय-समय पर जारी करे या विहित करे।

6. **अवशिष्ट वित्तीय शक्तियां-** पदों के सृजन और उन्मूलन सहित ऐसी सभी वित्तीय शक्तियाँ, जो इन नियमों द्वारा किसी भी प्राधिकारी को विशेष रूप से प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, वित्त मंत्रालय में निहित होंगी।

7. **व्यय की मंजूरी-** (1) सभी व्यय में मंजूरी और विनियोग दोनों अपेक्षित होंगे। किसी मंजूरी के प्रति व्यय तभी उपगत किया जा सकता है, जब वैध विनियोग या पुनर्विनियोग द्वारा व्यय या दायित्व को पूरा करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं।

(2) आवर्ती व्यय या दायित्व की मंजूरी तब प्रवर्तित हो जाती है, जब प्रथम वर्ष के व्यय या दायित्व को पूरा करने के लिए निधियाँ, वैध विनियोग या पुनर्विनियोग द्वारा या आकस्मिकता निधि से अग्रिम द्वारा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराई गयी हैं और ऐसे वर्षों में विनियोग के अधीन रहते हुए और मंजूरी के निबंधनों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पश्चात्तवर्ती वर्ष के लिए प्रभावी रहती है।

8. **विनियोग की प्राथमिक इकाई -** (1) भारत व्यय के लिए कोई अनुदान या विनियोग उस मानक वस्तु-शीर्ष द्वारा वितरित किया जाता है जिसके अधीन इसकी गणना की जाएगी और ऐसे प्रत्येक मानक वस्तु-शीर्ष, जिसके संबंध में व्यय का उपबंध होता है, विनियोग की प्राथमिक इकाई होता है। विनियोग की प्राथमिक इकाई व्यय के लक्ष्यों को निरूपित करने वाले लेखा वर्गीकरण की निम्नतम इकाई है।

(2) प्राथमिक इकाई में अनुदत्त और भारत व्यय, दोनों के लिए उपबंध सम्मिलित हो सकेगा और उस दशा में प्रत्येक की रकम पृथकतः दर्शायी जाती है।

(3) विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ या मानक वस्तु-शीर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जायेंगी। मानक वस्तु शीर्ष की एक सूची उपाबंध - 1 पर है।

(4) वित्त मंत्रालय विनियोग की प्राथमिक इकाईयों को जोड़, हटा या संशोधित कर सकेगा या ऐसी इकाईयों का एक पूर्णतः अलग सेट विहित कर सकेगा।

(5) भारत सरकार के विभाग अनुदानों की विस्तृत मांगों की तैयारी के लिए संख्यात्मक संहिताकरण के संबंध में निम्नलिखित को ध्यान में रखेंगे, अर्थात्:-

(i) अनुदानों की विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के स्तरों की संख्या नीचे दी गई तालिका में उपदर्शित मानक छह स्तर होंगे:

क्र.सं.	शीर्ष का प्रकार	संहिताकरण
1.	मुख्य शीर्ष	-4 अंक (कार्य)
2.	उप-मुख्य शीर्ष	-2 अंक (उप- कार्य)

3.	लघु शीर्ष	-3 अंक (कार्यक्रम)
4.	उप-शीर्ष	-2 अंक (स्कीम)
5.	विस्तृत शीर्ष	-2 अंक (उप-स्कीम)
6.	वस्तु-शीर्ष	-2 अंक (विनियोग या वस्तु-शीर्ष की प्राथमिक इकाई)

(ii) संघ और राज्यों के लिए मुख्य, उप- मुख्य, लघु-शीर्षों, उप-शीर्षों और विस्तृत शीर्षों के लिए महालेखानियंत्रक द्वारा समुनुदेशित किए गए संख्यात्मक कोड नंबरों का अनुसरण विस्तृत अनुदान मांगों में किया जाएगा;

(iii) राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच का अंतर, सरकारी लेखांकन नियम और साधारण वित्तीय नियम, में यथा-परिभाषित होगा।

9. निधियों का आवंटन - भारत सरकार के विभाग या प्राधिकरण, जिनकी ओर से भारित व्यय के लिए अनुदान या विनियोग संसद द्वारा प्राधिकृत किया गया है, मंजूर की गई निधियों को, जहां आवश्यक हो, अपने अधीनस्थ नियंत्रण और संवितरण अधिकारियों के बीच वितरित करेंगे।

10. विनियोग और पुनर्विनियोग – सामान्य प्रतिबंध-

(1) संसद की पूर्व मंजूरी के बिना, संसद द्वारा यथा अनुमोदित बजट में अविचारित किसी नई सेवा/नई सेवा लिखत (एनएस/एनआईएस) पर व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का विनियोग या पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। यह विनिश्चय करने के लिए कि मामला नई सेवा/नई सेवा के लिखत से संबंधित है तथा यह अवधारित करने के लिए कि क्या संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है या इसे पूरक मांगों के अगले बैच के साथ संसद को रिपोर्ट किया जाना है, समय-समय पर, बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विहित वित्तीय सीमाओं का सन्दर्भ लिया जायेगा।

(2) उस व्यय को पूरा करने के लिए निधि का विनियोग या पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा जिसे इसको मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान न की गई हो।

(3) किसी ऐसे कार्य के लिए निधि का विनियोग या पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा जिसे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा-विहित प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी प्राप्त न हुई हो।

(4) स्वीकृत व्यय को पूरा करने के प्रयोजन से भारित व्यय के लिए उपलब्ध कराई गई निधि का अनुदत्त व्यय को पूरा करने हेतु विनियोग या पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा और भारित व्यय को पूरा करने के लिए अनुदत्त व्यय हेतु उपलब्ध कराई गई निधि का विनियोग या पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।

(5) एक अनुदान या भारित व्यय के लिए किए गए विनियोग से दूसरे अनुदान या भारित व्यय के विनियोग में कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।

(6) पूंजीगत खंड से राजस्व अनुदान खंड में अथवा इसके विलोमतः कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता है।

(7) संसद द्वारा अथवा इस नियम के उपबंधों के अधीन पारित किए गए किसी अनुपूरक अनुदान मांग के माध्यम से पहले ही आवर्धित किसी विनियोग से कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता है।

(8) ऐसी किसी गतिविधि, जिसके लिए वित्तीय वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि अग्रिम पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, के अंतर्गत हुई बचतों से कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता है।

प्रशासनिक मंत्रालयों या विभागों की शक्तियां

(9) उपर्युक्त उपबंधों के अधीन, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के मुख्य लेखा प्राधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

- पुनर्विनियोग के माध्यम से 'वेतन', 'भत्ते', 'मजदूरी', 'पेंशन संबंधी प्रभार', चिकित्सा व्यय तथा भूमि और भवनों का किराया, दरें और करों के शीर्षों के उपबंधों में वृद्धि करने के लिए;
- स्कीमों में एक समान रूप से मदशीर्ष 'वेतन' से निधियों का 'वेतन' शीर्ष में पुनर्विनियोग करने के लिए;

- (iii) अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से संसद द्वारा पहले से अनुमोदित उपबंधों के संवर्धन करने के लिए;
- (iv) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एकमुश्त उपबंध से संबंधित स्कीमों के लिए निधियों का पुनर्विनियोग करना। तथापि, शक्तियों का यह प्रत्यायोजन केवल पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्कीम/कार्यक्रमों के लाभ हेतु एकमुश्त उपबंध से योजना में निधियों के पुनर्विनियोग तक ही सीमित है।
- (v) प्राधिकृत मंजूर की गई वित्तीय सीमाओं से अधिक 20 प्रतिशत की सीमा तक व्यय आधिक्य को कवर करने हेतु किसी कार्य के लिए विनियोग अथवा पुनर्विनियोग करना, जो ऐसे व्यय आधिक्य जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- (vi) किसी वस्तु शीर्ष में समाप्त होने वाली किसी सीमा मद के अधीन बजट उपबंध को उस सीमा तक बढ़ाना जैसा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अपने विभिन्न विनिर्दिष्ट/साधारण आदेशों द्वारा अनुज्ञात किया गया हो।
- (vii) निधियों के पुनर्विनियोग के लिए मंत्रालयों/विभागों को अपने-अपने वित्तीय सलाहकारों के परामर्श से इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इन नियमों के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन किया गया है।

वे मामले, जिनमें वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है

(10) सचिव (व्यय) की सहमति से बजट प्रभाग की पूर्व सहमति के सिवाय इस नियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के होते हुए भी:

- (i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान के अधीन हुई बचतों से राजस्व खंड में व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।
- (ii) पूंजीगत खंड में पूंजीगत परिव्यय और ऋण के बीच अथवा इसके विलोमतः निधियों का कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।
- (iii) 'वैतन' या 'भत्ते' शीर्ष से किसी अन्य 'विनियोग की प्राथमिक इकाई' में निधियों का कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।
- (iv) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीएस) के लिए किए गए उपबंधों से गैर-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।
- (v) गोपनीय सेवा व्यय के लिए उपबंध से और उसके लिए कोई विनियोग नहीं किया जाएगा। मूल उपबंध के 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के संवर्धन के मामले में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित होगा।
- (vi) "भवन और संरचना/अवसंरचना आस्तियां/अन्य नियत आस्तियां" की प्राथमिक इकाई से किसी अन्य इकाई में कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।
- (vii) किसी कार्य के लिए 20 प्रतिशत से अधिक प्राधिकृत वित्तीय सीमाओं से ऊपर किए गए व्यय आधिक्य को कवर करने के लिए कोई विनियोग अथवा पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।
- (viii) किसी वस्तु शीर्ष में समाप्त होने वाली किसी सीमा मद के अधीन किसी बजट उपबंध को बढ़ाने का प्रभाव रखने वाला कोई पुनर्विनियोग वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी इसके विभिन्न विनिर्दिष्ट/साधारण आदेशों द्वारा विहित की गई सीमाओं से अधिक नहीं किया जाएगा।
- (ix) किसी ऐसे शीर्ष में, जिससे निधियां जिन्हें पूर्व में किसी अन्य शीर्ष को पुनर्निर्दिष्ट/पुनर्विनियोग किया गया हो, निधियों का पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।

11. मांग-पत्र, संविदाएं और क्रय - (1) माल और सेवाओं की उपापन को शासित करने वाले इन नियमों और साधारण वित्तीय नियम के परंतुकों के अधीन भारत सरकार के विभाग के पास क्रय और संविदाओं के निष्पादन के लिए मंजूर करने की पूर्ण शक्तियां होंगी।

(2) इस नियम के अधीन खुले या सीमित निविदा संविदाओं के लिए एक सौ करोड़ रुपये तक की शक्तियों का प्रयोग संबंधित विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा। ,

(3) इस नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग संबंधित विभाग के सचिव द्वारा बातचीत या एकल निविदा या सांपत्तिक संविदाओं या करारों के लिए पच्चीस करोड़ रुपये तक किया जाएगा।

(4) संविदा या क्रय, जिसकी रकम उल्लिखित श्रेणियों में इस नियम के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में कथित किए गए मूल्य से अधिक है, के लिए विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(5) इन नियमों के उपबंधों के अधीन, भारत सरकार के विभाग के सचिव, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विभाग या मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से, किसी प्रशासक अथवा विभागाध्यक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी को इस नियम के उप नियम (2) और उप-नियम (3) तथा नियम 13 में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, जो उनमें निहित शक्तियों से अधिक नहीं होगी।

(6) उन मामलों में जहां किसी परियोजना अथवा स्कीम में संविदा अथवा क्रय अथवा परामर्शी सेवा प्रदान करने की शक्ति पर विचार किया गया है और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) अथवा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) अथवा मंत्रिमंडल जैसा भी मामला हो, द्वारा विचार किया गया है और अनुमति दे दी गई है, वहां उप-नियम (1), उप-नियम (2), उप-नियम

(3) और उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे मामलों अथवा परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अभिकथित वित्तीय सीमाओं के अनुसार ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।

12. अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियाँ – (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनियोग और पुनर्विनियोग के मामले में भारत सरकार के विभागों के पास राजस्व और पूंजीगत व्यय करने की पूर्ण शक्तियां होंगी।

(2) केंद्रीय सरकार का कोई विभाग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी प्रशासक या विभागाध्यक्ष या विभाग के अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी को, इन नियमों के अधीन होने वाले किसी भी मामले के संबंध में, उस विभाग में निहित शक्तियों से अधिक शक्तियां प्रदान नहीं कर सकता है:

परंतु कि इस उप-नियम के अधीन विभाग द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कोई भी शक्ति पुनः प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी -

(क) नियम 10-निधियों का पुनर्विनियोग;

(ख) नियम 15- सरकारी सेवकों को किए गए अधिक संदाय की वसूली से छूट; और

(ग) नियम 16- स्कीमों या परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विभाग का प्रशासक या विभागाध्यक्ष, उप-नियम (2) के अधीन ऐसे प्रशासक या विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों में से सभी या किन्हीं शक्तियों को लिखित आदेश द्वारा, अपने अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारी को उस सीमा तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए। तथापि, प्रशासक या विभागाध्यक्ष ऐसे प्राधिकृत किए गए राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चयों की यथार्थता, नियमितता और औचित्य के लिए जिम्मेदार रहेगा।

(4) भारत सरकार के विभागों, प्रशासकों और विभागाध्यक्षों को इन नियमों के प्रयोजन के लिए अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की शक्ति होगी:

परंतु कार्यालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विभाग, प्रशासक या विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की गई हैं और जैसा कि उस तत्समय प्रवृत्त नियमों में उपबंध किया गया है:

परंतु यह कि एक ही कार्यालय या स्थापन के संबंध में एक से अधिक राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष तब तक घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा कार्यालय या स्थापन एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग न हो।

(5) इन नियमों द्वारा या इनके अधीन राजस्व या पूंजीगत व्यय उपगत करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधिकारी साधारण वित्तीय नियमों, में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निबंधनों और

पैमानो सहित वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विषय पर अनुषंगी अनुदेशों और आदेशों के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सामान्य शर्तें उपाबंध-2 में दी गई हैं।

(6) इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग पहले से ही की गई कार्रवाई या पहले से ही किए गए व्यय या दायित्व के विधिमान्यकरण के लिए भी किया जा सकता है, भले ही जब कार्रवाई या व्यय या दायित्व को विधिमान्य करने वाले प्राधिकारी के पास, जैसा भी मामला हो, जिस समय कार्रवाई की गई थी या व्यय या दायित्व उपगत किया गया था ऐसा करने की कोई सक्षमता नहीं थी।

13. हानि को बट्टे खाते में डालने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियाँ - हानि को बट्टे खाते में डालने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्ति, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमा के अनुसार होगा।

14. सरकारी संपत्ति का बीमा - सरकारी संपत्ति, चल और अचल, दोनों का बीमा नहीं किया जाएगा और कोई भी अधीनस्थ प्राधिकारी, वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना ऐसी संपत्ति के बीमा के संबंध में कोई दायित्व की जिम्मेदारी नहीं लेगा या कोई व्यय उपगत नहीं करेगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां उस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर छूट प्रदान की गई है।

15. सरकारी सेवकों को किये गये अधिक संदाय की वसूली से छूट - (1) भारत सरकार का एक विभाग, एक प्रशासक और विभाग का कोई अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी, जिसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, रहते हुए एक सरकारी कर्मचारी को उसकी पात्रता से गलती से अधिक संदाय की गई रकम की वसूली को माफ कर सकेगा अर्थात्: -

- (i) अननुज्ञात रकम संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा इस युक्तियुक्त विश्वास के अधीन निकाली गई है कि वह इसका हकदार था; और
- (ii) यदि, उपरोक्त प्राधिकारी की राय में -
 - (क) वसूली से अनुचित कठिनाई होगी; या
 - (ख) वसूली असंभव है.

(2) भारत सरकार का एक विभाग, विभाग के वित्तीय सलाहकारों की सहमति से प्रत्येक व्यक्ति के मामले में 2,00,000/- रु. तक के अतिसंदाय की वसूली को माफ कर सकता है। 2,00,000/- से अधिक की रकम की वसूली की माफी के लिए प्रत्येक मामले में प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(3) वसूली की माफी के मामलों, भारत सरकार के विभाग यह जांच करेंगे कि क्या अतिसंदाय के लिए जिम्मेदार लोगों और ऐसे कार्यों से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की ओर से अतिसंदाय कपट, दुर्व्यपदेशन, मिलीभगत, पक्षपात, उपेक्षा या असावधानी आदि के कारण किया गया है। वसूली से छूट के सभी प्रस्तावों के साथ इस संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी।

16. स्कीमों या परियोजनाओं पर व्यय - (1) नियम 12 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारत सरकार का कोई विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, किसी भी स्कीम, परियोजना पर व्यय को इसके अधीन रहते हुए मंजूरी दे सकता है, परिव्यय को वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विहित मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और इस नियम के अधीन मूल्यांकन और अनुमोदन की शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी।

(2) ऐसे मामलों में, जहां संविदा या क्रय या परामर्श का अधिनिर्णय स्कीम के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है ऐसे व्यय की मंजूरी के लिए अभिकथित वित्तीय सीमा के अनुसार ऐसी स्कीमों या परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करने के लिए स्कीमों या परियोजनाओं पर प्रक्रिया की जाएगी।

17. सहायता अनुदान, ऋण, आदि – भारत सरकार के विभागों और प्रशासकों के पास छात्रवृत्ति और ऋण सहित सहायता अनुदान मंजूर करने की पूरी शक्ति होगी:

परंतु यह कि -

- (क) छात्रवृत्ति सहित ऐसे सहायता अनुदान वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से विहित नियमों या सिद्धांतों के अनुसार हैं और इस आशय का एक प्रमाण पत्र मंजूरी में शामिल है;
- (ख) किसी ऋण और ब्याज की दर और उसके संदाय की अवधि वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से तय की जाती है, जब तक कि ऐसे ऋण पर ब्याज की दर और उसके प्रति संदाय की अवधि भारत सरकार के विभाग के किसी साधारण या विशेष आदेश में विहित न की गई हो।

18. व्यापार प्रचालन - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सभी प्रस्ताव -

- (क) उन वस्तुओं की क्रय के लिए, जो सरकारी उपभोग के लिए आश्रित नहीं हैं, बल्कि जनता, राज्य सरकारों या किसी अन्य अभिकरण को बिक्री या निर्गम करने के लिए हैं;
- (ख) सरकार के प्रत्यक्ष व्यापार प्रचालनों के संबंध में कीमतें तय करने के लिए; और
- (ग) सरकारी कंपनियों और उपक्रमों से, जिन्हें उनके उत्पादों या स्टॉक के लिए कीमतें निर्धारण करने के लिए सरकार को भेजा जा सकता है,

अनुमोदन से पहले सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाएंगे:

परंतु, संव्यवहार का मूल्य 25 करोड़ रुपये से कम है, तो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्रस्तावों को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय न भेजे जाएं।

स्पष्टीकरण - इस नियम में, "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है।

19. सार्वजनिक भवनों का विखंडन - नीचे उपवर्णित शर्तों के अध्याधीन, भारत सरकार के विभागों और प्रशासकों के पास सार्वजनिक भवनों (विशुद्ध रूप से अस्थायी संरचना से भिन्न) को विखंडित करने संबंधी मंजूरी देने की पूरी शक्तियां होंगी, परंतु यह तब कि जब इन शक्तियों का प्रयोग उनके वित्तीय सलाहकारों की सहमति से किया जाए।

शर्तें:

- (i) किसी भी सार्वजनिक भवन को तब तक विखंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पहले से अभिनिश्चित न हो जाए कि भारत सरकार के किसी अन्य विभाग को इसकी आवश्यकता नहीं है।
- (ii) किसी भी सार्वजनिक भवन को तब तक विखंडित नहीं किया जाएगा जब तक वह संरचनात्मक रूप से खतरनाक स्थिति में न हो या किफायती मरम्मत से परे हो और उस रूप में समुचित तकनीकी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित न किया गया हो या उससे अधिक महत्वपूर्ण सरकारी भवन या संरचना के निर्माण के लिए साइट को खाली करना आवश्यक न हो।
- (iii) कोई भी सार्वजनिक भवन, जिसका विखंडन इस नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग से मंजूर किया गया है, का निपटान, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या स्थानीय लोक निर्माण विभाग, उन क्षेत्रों में, जहां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नहीं करता है, के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक कि अभिज्ञात पक्षकार को भवनों के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।
- (iv) भारत सरकार के विभागों या मंत्रालयों और प्रशासकों के पास विशुद्ध रूप से अस्थायी संरचनाओं को विखंडित करने की मंजूरी देने की पूरी शक्तियां होंगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए "विशुद्ध रूप से अस्थायी संरचना" से ऐसी संरचना अभिप्रेत है, जिसकी जीवनावधि दो वर्ष से अधिक नहीं है।

20. लेखापरीक्षा को मंजूरी की संसूचना - (1) जब कभी इन नियमों के अधीन वित्त मंत्रालय की सहमति या मंजूरी अपेक्षित है, तो ऐसी सहमति या मंजूरी, उक्त मंजूरी में एक खंड जोड़ने के पश्चात स्वयं भारत सरकार के किसी विभाग द्वारा संबंधित लेखा परीक्षा या वेतन और लेखा अधिकारी को निम्नलिखित रूप में सूचित की जाएगी:-

“यह आदेश/ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से, उनके दिनांक (-----) के का. ज्ञा./ यूओ संख्या..... के द्वारा जारी किया जाता है।”

(2) जब भी भारत सरकार के किसी विभाग द्वारा अपने आंतरिक वित्तीय सलाहकार या एकीकृत वित्तीय सलाहकार के परामर्श और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई वित्तीय मंजूरी जारी की जाती है, तो इसमें मंजूरी का एक खंड जोड़कर संबंधित विभाग द्वारा निम्नानुसार संबंधित लेखा परीक्षा/भुगतान एवं लेखा अधिकारी को सूचित किया जाएगा।:

“यह संस्वीकृति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है। आंतरिक वित्त/एकीकृत वित्त की सलाह दिनांक..... के डायरी सं/यूओ सं..... द्वारा सूचित की गई थी।”

21. निरसन और व्यावृत्ति - (1) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978, का निम्नलिखित के द्वारा निरसन किया जाता है:

बशर्ते कि इस तरह का निरसन, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 2024 के लागू होने से पहले किए गए किसी भी कार्य, जारी किए गए किसी भी आदेश, की गई कोई कार्रवाई या प्रयोग की गई किसी शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा और इन नियमों के शुरू होने से पहले की गई सभी मंजूरी, आदेश, घोषणाएं या अन्य की गई कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेंगी और इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद भी क्रियाशील और लागू रहेंगी, जब तक कि ऐसी संस्वीकृति देने वाले या ऐसा आदेश जारी करने वाले या ऐसी कार्रवाई करने वाले प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रद्द या निरस्त न किया जाए।:

बशर्ते कि सरकार के विशेष आदेशों के तहत किसी भी प्राधिकारी को दिए गए सभी प्रत्यायोजन तब तक लागू रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से रद्द नहीं कर दिए जाते।

(2) निम्नलिखित पर इन नियमों में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा -

(क) रेल मंत्रालय और उस मंत्रालय के अधीनस्थ प्राधिकारी;

(ख) रक्षा सेवा अनुमानों के प्रभार्य व्यय के संबंध में रक्षा मंत्रालय और उस मंत्रालय के अधीनस्थ प्राधिकारी।

(ग) परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग;

(घ) दूरसंचार विभाग;

(ङ) विदेश स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधि जिनकी शक्तियां वित्त मंत्रालय के परामर्श से अलग से जारी नियमों या आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।

टिप्पणी 1 - रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उस मंत्रालय के अधीनस्थ अधिकारियों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष और दूरसंचार विभाग को नियम 8 में प्रदान की गई तर्ज पर जहां तक संभव हो विनियोजन की अपनी प्राथमिक इकाइयों को सुयोजित करना आवश्यक है।

[फा. सं. 01(14)/2016-ई.II(ए)]

अविनाश के. नीलांकर, उप सचिव

उपाबंध-I
(नियम-8 देखें)

क्र.सं.	क्र.सं.	वस्तु-शीर्ष	विवरण / परिभाषाएं
(क) राजस्व व्यय			
वस्तु-श्रेणी I- कर्मचारियों को मुआवजा			
1	01	वेतन	इसमें एफआर 9(21) के अधीन यथा-परिभाषित सरकारी कर्मचारियों का वेतन, मानदेय और इंटर्न वृत्तिका शामिल होगी। इसमें राज्यों के प्रमुखों तथा अन्य उच्च गण्यमान्य व्यक्तियों की परिलब्धियां और भत्ते, सत्कार भत्ता तथा विभागीय कैदीन के कर्मचारियों को देय वेतन और एलटीसी छुट्टी का नकद भुगतान शामिल होगा।
2	02	मजदूरी	इसमें मजदूरों और कर्मचारियों की वर्तमान में आकस्मिक रूप से भुगतान की जाने वाली मजदूरी शामिल होगी।
3	05	पुरस्कार	इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते के अतिरिक्त योजना के अधीन प्राप्त होने वाले पुरस्कार शामिल होंगे। इसमें बोनस तथा हिंदी प्रतियोगिता आदि के नकद पुरस्कार भी शामिल होंगे।
4	06	चिकित्सा उपचार	इसमें सरकारी कर्मचारियों/ पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति/ उपचार के लिए भुगतान की गई रकम शामिल होगी।
5	07	भत्ते	इसमें यथा-अनुप्रयोज्य महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, विदेश भत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, व्यक्तिगत वेतन, परिवार नियोजन भत्ता, विशेष प्रतिकर (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता, जनजातीय क्षेत्र भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता, मुख्यालय भत्ता, समयोपरि भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति, राशन भत्ता, नकद में दिए जाने वाले राशन की लागत, आकस्मिकता भत्ता, वर्दी और वस्त्र भत्ता, मनोरंजन भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थल) भत्ता, खराब जलवायु भत्ता, धुलाई भत्ता, विशेष (ड्यूटी) भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, जोखिम भत्ता, सुंदरबन भत्ता, नकद रखरखाव भत्ता, देखभाल भत्ता, स्पलिट ड्यूटी भत्ता और उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता जो सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक्त देय हो।
6	08	छुट्टी यात्रा रियायत	इसमें एलटीसी नियम की हकदारी के अंतर्गत परिवहन के अन्य किसी साधन का किराया/ हवाई/ रेल/ बस किराया शामिल होगा।
7	09	प्रशिक्षण व्यय	इसमें प्रशिक्षण पर किया गया व्यय शामिल होगा जैसे- संदत्त शुल्क और प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आकस्मिक खर्च शामिल होंगे, परंतु इसमें घरेलू/विदेश यात्रा खर्च पर किया गया व्यय शामिल नहीं होगा।
वस्तु-श्रेणी II- कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा			
8	04	पेंशन प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि को देय पेंशन और सभी प्रकार के उपदान के भुगतान आदि सहित सभी पेंशन लाभ शामिल होंगे। इसमें सेवा निधि अंशदान और अंशदायी भविष्य निधि में किया गया अंशदान, सेवानिवृत्ति/ मृत्यु, सेवा समाप्ति आदि के समय छुट्टी के बदले नकद

क्र. सं.	क्र. सं.	वस्तु-शीर्ष	विवरण / परिभाषाएं
			भुगतान शामिल होंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन देय सरकार का योगदान भी शामिल होगा। तथापि, इसमें वृद्धावस्था पेंशन जैसा सामाजिक सुरक्षा व्यय शामिल नहीं होगा।
वस्तु-श्रेणी III- वस्तु एवं सेवाएं			
9	11	घरेलू यात्रा व्यय	इसमें सरकारी कर्मचारियों के भारत में सरकारी दौरों और स्थानान्तरण पर यात्रा व्यय शामिल होगा। इसमें भारत में यात्रा के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के टीए/डीए पर होने वाला व्यय भी शामिल होगा। इसमें सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगियों को देय ट्रांसफर टीए भी शामिल होगा।
10	12	विदेश यात्रा का व्यय	इसमें सरकारी कर्मचारियों के भारत के बाहर सरकारी दौरों और स्थानान्तरण पर होने वाला खर्च शामिल होगा। इसमें भारत के बाहर सरकारी दौरों पर गैर-सरकारी सदस्यों का टीए/डीए पर होने वाला व्यय भी शामिल होगा।
11	13	कार्यालय व्यय	इसमें कार्यालय स्थापना के रखरखाव के लिए किए जाने वाले सभी आवर्ती और गैर-आवर्ती आकस्मिक खर्च जैसे स्टेशनरी, डाक प्रभार, कूरियर प्रभार, टेलीफोन प्रभार, इंटरनेट प्रभार, केबल कनेक्शन प्रभार, बिजली प्रभार, जल प्रभार, सेवा करार, सुरक्षा, अल्प अवधि के लिए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को रखने संबंधी व्यय, आउटसोर्स से आए कार्यालय परिचर, कार्यालय सहायक/ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स (डीईओ), हाउस कीपिंग, वर्दी/ यूनिफॉर्म, गर्म एवं सर्द मौसम प्रभार, कीटनाशक नियंत्रण, रिफ्रेशमेंट, पुस्तकें और पत्रिकाएं, आदर-सत्कार व्यय जिसमें विदेशी शिष्टमंडल का आतिथ्य, उपहार एवं स्मृति चिन्ह और कार्यालय द्वारा आयोजित सम्मेलन/ कार्यशाला/ बैठकें शामिल होंगी तथा साथ ही अध्ययन सामग्री/ किट, जलपान, अध्ययन दौरे आदि से संबंधित सभी खर्च शामिल होंगे। इसमें कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद भी शामिल होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्णीत सीमा (1.00 लाख रुपए या 3 वर्ष की उपयोगी जीवनावधि, इनमें से कोई एक) से अधिक नहीं होंगे। सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई समय-सीमा से अधिक के कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर एवं फिक्स्चर को 'मशीनरी और उपस्कर' और 'फर्नीचर और फिक्स्चर' नामक संगत वस्तु शीर्ष के अंतर्गत 'पूँजीगत' व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तथापि, इसके उपयोग (कार्यालय या अन्यथा) के अतिरिक्त वाहनों की खरीद को 'मोटर वाहन' नामक संगत पूँजीगत वस्तु के अधीन 'पूँजीगत' व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
12	14	भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर	इसमें भवनों (भवनों के अतिरिक्त गैर-आवासीय या आवासीय या संरचनाएं) के किराए, नगरपालिका दरें और कर तथा किराए पर ली गई भूमि और भवनों के लिए पट्टा प्रभार, जिसका स्वामित्व सरकार को हस्तांतरणीय नहीं है, का खर्च शामिल होगा। तथापि, भूमि और भवनों के लिए पट्टा प्रभार, जिसका स्वामित्व सरकार को हस्तांतरणीय है, को 'भूमि' और 'भवन एवं संरचनाएं' नामक संगत वस्तु शीर्षों के अंतर्गत 'पूँजीगत' व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
13	15	रॉयल्टी	इसमें पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रिंट, प्रकाशन, संगीत आदि की रॉयल्टी पर खर्च शामिल होगा।

क्र. सं.	क्र. सं.	वस्तु-शीर्ष	विवरण / परिभाषाएं
14	16	मुद्रण और प्रकाशन	इसमें कीमती सामान, लेखापरीक्षा और लेखा रिपोर्टों, फॉर्म, स्टेशनरी, कार्यालय कोड, मैनुअल और अन्य दस्तावेज, ई-बुक्स, ई-मैगजीन, डिजिटल छपाई, पेन ड्राइव, सीडी आदि सहित समाचार-पत्र और मैगजीन की छपाई पर होने वाला खर्च शामिल होगा, परंतु इसमें प्रचार संबंधी सामग्री की छपाई पर व्यय शामिल नहीं होगा जिसे विज्ञापन और प्रचार के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।
15	18	अन्यों के लिए किराया	इसमें उपस्कर और अन्य विभिन्न मदों जैसे कार्यालय उपस्कर, परिवहन, कंप्यूटर और सहायक उपस्कर, संचार उपस्कर, एयर-कंडीशनिंग, हीटिंग और रेफ्रिजरेटिंग उपस्कर, सुरक्षा उपस्कर, प्रसारण और रिकॉर्डिंग उपस्कर, निर्माण उपस्कर, कृषि उपस्कर, बागवानी उपस्कर, चिकित्सा उपस्कर, फर्नीचर और फिक्स्चर को किराए पर लेने संबंधी व्यय शामिल होंगे। इसमें उपस्कर और अन्य मदों के लिए पट्टा शुल्क भी शामिल होगा, जिसका स्वामित्व सरकार को हस्तांतरणीय नहीं है। तथापि, उपस्कर और अन्य मदों के लिए पट्टा शुल्क, जिसका स्वामित्व सरकार को हस्तांतरणीय है, को संबंधित वस्तु शीर्षों के अधीन 'पूजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
16	19	डिजिटल उपस्कर	इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद/विकास, जहां व्यक्तिगत मद की लागत सरकार द्वारा समय-समय पर तय सीमा (एक लाख रुपए या तीन वर्ष का उपयोग समय, दोनों में से कोई एक) से अधिक न हो, पर राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले खर्च शामिल होंगे। तथापि, यह सीमा प्रिंटर के लिए टोनर और कार्टेज जैसी उपभोग्य सामग्रियों पर लागू नहीं होगी, अर्थात् इन्हें राजस्व व्यय के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।
17	21	सामग्री और आपूर्तियां	इसमें विभिन्न प्रकार की आपूर्तियों, सामग्री और भंडार आदि जैसे चिकित्सा आपूर्तियां, शैक्षिक आपूर्तियां, कृषि आपूर्तियां, पशुधन आपूर्तियां, सफाई सामग्रियां, अस्पताल औषधियां एवं दवाएं, पशु औषधि, रसायन एवं उर्वरक, प्रयोगशाला आपूर्तियां, अतिरिक्त पुर्जे, कपड़े और तम्बू पर खर्च शामिल होंगे।
18	22	हथियार और गोला बारूद	इसमें पुलिस और अन्य अर्द्ध-स्थापनाओं पर हथियार और गोला-बारूद का राजस्व व्यय शामिल होगा।
19	23	राशन की लागत	इसमें कार्मिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को प्रदान किए जाने वाले राशन की खरीद पर व्यय शामिल होगा।
20	24	ईंधन एवं स्नेहक	इसमें पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा अन्य ईंधन जैसे सीएनजी, डीजल आदि पर व्यय शामिल होगा।
21	26	विज्ञापन और प्रचार	इसमें प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया या आउटडोर मीडिया या इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क या अन्य दृश्य-श्रव्य प्रचार या मेले और प्रदर्शनी जैसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर प्रचार सामग्री की बिक्री और मुद्रण के लिए एजेंटों को कमीशन सहित व्यय शामिल होंगे।
22	27	लघु सिविल तथा बिजली के कार्य	इसमें कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों, अन्य भवनों के मामूली सिविल और बिजली के कार्यों की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय तथा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव (आरओएम) किए गए डीजल जेनसेट आदि के रखरखाव तथा प्रचालन

क्र. सं.	क्र. सं.	वस्तु-शीर्ष	विवरण / परिभाषाएं
			पर होने वाला व्यय शामिल होगा।
23	28	व्यावसायिक सेवाएं	इसमें सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यावसायिकों, परामर्शदाताओं, कलाकारों, बैंकों आदि की सेवाएं लेने पर होने वाला व्यय शामिल होगा, जिसमें कानूनी सेवाएं, परामर्श शुल्क, लेखा-परीक्षा शुल्क, शिक्षण और प्रशिक्षण शुल्क, कलाकारों को भुगतान, प्रश्न बनाने वालों या पर्यवेक्षकों या अतिथि वक्ताओं को पारिश्रमिक, सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य विभागों को भुगतान करना, विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान या व्यय शामिल है।
24	29	मरम्मत और रखरखाव	इसमें मशीनरी और उपस्कर, कार्यालय उपस्कर, अन्य कार्यात्मक उपयोग के लिए उपस्कर, कार्यालय उपयोग के लिए डिजिटल उपस्कर, कार्यात्मक उपयोग के लिए डिजिटल उपस्कर, कार्यालय के लिए फर्नीचर और फिक्सचर, अन्य कार्यात्मक उपयोग के लिए फर्नीचर और फिक्सचर, वाहन (कार्यालय/ कार्यात्मक उपयोग के लिए मोटर वाहन और गैर-मोटर वाहन जैसे साइकिल, रिक्शा, छकड़ा-गाड़ी, ट्रॉली और नाव आदि), बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों (इसमें मामूली नागरिक और इलेक्ट्रिकल कार्य जैसे लाइनें, पुलों, रेलवे का रोलिंग स्टॉक, राजमार्ग, बंदरगाह, जहाज, वायुयान, हेलीकाप्टर, रडार, होवरक्राफ्ट, हवाई अड्डे या अन्य बुनियादी ढांचों पर निवारक और प्रचालनात्मक रखरखाव खर्च शामिल होगा), टूल और संयंत्र, हथियार और गोला-बारूद आदि जैसे उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव (इसमें सभी रखरखाव संबंधी करार शामिल है) पर खर्च शामिल होंगे, लेकिन उन्नयन, मध्यावधि पुनर्वास, रेट्रोफिटिंग और/ या रिकंडिशनिंग का खर्च शामिल नहीं होगा।
25	39	बैंक और एजेंसी प्रभार	इसमें बैंक सेवा प्रभार, एजेंसी शुल्क, एमडीआर शुल्क, बैंकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुल्क और मौद्रिक लेनदेन करने वाले सुविधा शुल्क के लिए अन्य कोई शुल्क शामिल होंगे।
26	40	अवार्ड और पुरस्कार	इसमें सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाने वाले अवार्ड और पुरस्कार शामिल होंगे।
वस्तु -श्रेणी IV – सहायता और सहयोग			
27	31	सहायता अनुदान-सामान्य	इसमें वेतन के अतिरिक्त भुगतान के लिए जारी सहायता अनुदान और पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण भी शामिल होगा। इसमें कल्याण संबंधी गतिविधियों पर व्यय भी शामिल होगा।
28	32	अंशदान	इसमें सदस्यता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठनों को किए गए अंशदान शामिल होंगे। इसमें कॉर्पस फंड्स के लिए स्वायत्त निकायों/ पीएसयू/ पीएसबी में किए गए हस्तांतरण शामिल नहीं होंगे।
29	33	सब्सिडी	इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन जारी सब्सिडी शामिल होगी।
30	34	छात्रवृत्ति	इसमें विभिन्न संस्थानों या संगठनों या लाभार्थियों या व्यक्तियों को जारी की गई छात्रवृत्ति की रकम शामिल होगी।
31	35	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भुगतान हेतु जारी अनुदान सहायता शामिल होगी। इसमें व्यवहार्यता अंतर निधियन (व्यवहार्यता अंतर निधियन योजना के अधीन चलने वाली परियोजनाओं पर व्यय) भी शामिल होगा।

क्र. सं.	क्र. सं.	वस्तु-शीर्ष	विवरण / परिभाषाएं
32	36	सहायता अनुदान - वेतन	इसमें वेतन के भुगतान के लिए जारी सहायता अनुदान शामिल होगा।
33	37	सहायता सामग्री और उपस्कर	इसमें मंत्रालयों या विभागों या अन्य सरकारों या संगठनों को हस्तांतरित सहायता सामग्री और उपकरणों का मूल्य शामिल होगा। इसमें अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों को वस्तु के रूप में दिए गए अनुदान भी शामिल होंगे।
वस्तु -श्रेणी V - विविध राजस्व व्यय			
34	41	गुप्त सेवा व्यय	इसमें गुप्त सेवाओं पर खर्च शामिल होगा।
35	44	विनिमय से हानि	इसमें भारतीय रुपए में विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर में अंतर के कारण होने वाला नुकसान शामिल होगा। विदेशी संसाधनों से प्राप्ति ऋण के समय विनिमय दर में अंतर के कारण होने वाले नुकसान और उसके भुगतान को भी इस वस्तु शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
36	45	ब्याज भुगतान	इसमें पूंजी पर ब्याज का भुगतान और ऋणों पर छूट शामिल होगी।
37	49	अन्य राजस्व व्यय	इसमें विवेकाधीन अनुदान से भुगतान, अन्य छूट, शुल्क और जुर्माना, सीमा शुल्क मुआवजा, प्रतिबद्धता शुल्क, उपहारों का नोशनल मूल्य, अधिकारियों के आवासों के लिए खरीदे गए/आपूर्ति किए गए समाचार-पत्रों की प्रतिपूर्ति तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्रीफकेश/महिलाओं के लिए पर्स की खरीद/प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं। अन्य कोई व्यय जिसे इन निर्दिष्ट वस्तु शीर्षों में से किसी के अधीन वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, को इस शीर्ष में से डेबिट किया जाएगा। इसमें उन योजनाओं, उप-योजनाओं/ संगठनों का व्यय भी शामिल होगा जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है।
(ख) पूंजीगत व्यय (परिसंपत्तियां)			
वस्तु- श्रेणी VI- गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (अचल और अमूर्त परिसंपत्तियां)			
38	51	मोटर वाहन	इसमें सड़क पर चलने वाली बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल जैसी मोटर वाहनों की खरीद, शामिल होगी चाहे उनका उपयोग जो भी हो।
39	52	उपस्कर और औजार	इसमें मोटर वाहन और आईसीटी उपस्कर, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, चिकित्सा उपस्कर, सटीक और ऑप्टिकल उपस्कर, घड़ी और क्लॉक, संगीत वाद्ययंत्र और खेल के सामान आदि के अतिरिक्त अन्य मशीनरी और उपस्कर की खरीद शामिल होगी, जिसका मूल्य एक लाख रुपए से अधिक हो या जिसका तीन वर्षों का उपयोग समय हो, दोनों में से किसी एक को इस शीर्ष के अधीन बुक करना आवश्यक होगा।
40	71	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर	इसमें सूचना, कंप्यूटर, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर, अर्थात् कंप्यूटर हार्डवेयर और दूरसंचार यंत्र (कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रोजेक्टर आदि) तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका मूल्य सीमा से अधिक हो (एक लाख रुपए या तीन वर्ष का उपयोग समय, दोनों में से कोई एक) तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका उपयोग ध्वनि, डेटा और टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है, की खरीद शामिल होगी।
41	72	भवन और संरचनाएं	इसमें कार्यालय भवन, आवासीय भवन, अन्य भवन और संरचनाएँ जैसे अस्पताल, प्रयोगशालाएँ, सभागार, लाइट हाउस, आश्रय आदि, सार्वजनिक स्मारक जैसे

क्र. सं.	क्र. सं.	वस्तु-शीर्ष	विवरण / परिभाषाएं
			प्रतिमाएँ, सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित फव्वारे और भूमि सुधार शामिल होंगे।
42	73	ढांचागत परिसंपत्तियां	इसमें सड़कें, पुल, सुरंगें, सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, खेल अवसंरचना, जल और सीवेज परियोजनाएं, रेलवे परिसंपत्तियां, जहाजों, बंदरगाहों, उपग्रहों, सैटेलाइट लॉन्च विहकल, हवाई अड्डे, हवाई जहाज, मोटर नौकाएं, रेलवे लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक, अन्य ढांचागत परियोजनाएं (केबल लाइनें, सीवेज सिस्टम, वर्षा जल संचयन, सौर प्रणाली, दूरसंचार टॉवर, ट्रांसमिशन लाइनें और बिजली टॉवर आदि) जैसी अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों की खरीद शामिल होगी।
43	74	फर्नीचर और फिक्सचर	इसमें कार्यालय उपयोग और कार्यात्मक उपयोग के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक फर्नीचर और फिक्सचर की खरीद पर व्यय (1.00 लाख रुपए से अधिक या उपयोगी जीवन के 3 वर्ष, दोनों में से कोई एक) शामिल होगा।
44	75	हथियार और गोला बारूद (पूंजीगत)	इसमें पूंजी प्रकृति के हथियारों और गोला-बारूद की खरीद शामिल होगी।
45	76	विरासत परिसंपत्तियों और एन.ई.सी. का उन्नयन/ खरीद	इसमें 1/- रुपए के नाममात्र मूल्य पर परिसंपत्ति रजिस्टर में मान्यता-प्राप्त और दर्ज विरासत परिसंपत्तियों का पुनर्वास, जीर्णोद्धार, रेट्रोफिटिंग और उन्नयन शामिल होगा जो 'अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' है। इसमें ललित कला तथा सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं की खरीद पर व्यय भी शामिल होगा।
46	77	अन्य अचल परिसंपत्तियां	इसमें लाइब्रेरी की पुस्तकें एवं प्रकाशन, वृक्ष, फसलें और पौधे जैसी अन्य अचल संपत्तियों की खरीद शामिल होगी, जिनका प्राकृतिक विकास और पुनर्जनन संस्थागत यूनितों के सीधे नियंत्रण में होता है, गैर-मोटर वाहन जैसे साइकिल, रिक्शा, छकड़ा, ट्रॉली, नाव आदि।
47	78	भूमि	इसमें भूमि जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत सहित जमीन, कार्यालय और आवासीय भवन के लिए भूमि तथा अन्य संबद्ध सतही जल (जलाशय, झीलें, नदियां और अन्य अंतर्देशीय जल) शामिल है, जिस पर मालिकाना हक जताया जा सकता है।
48	79	भूमि के अतिरिक्त गैर-उत्पादित परिसंपत्तियां	इसमें भूमि की सतह पर या भूमिगत खनिज और ऊर्जा भंडार शामिल होंगे, जिनमें तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, धातु के अयस्क जैसे लौह, गैर-लौह और कीमती धातु के अयस्क), गैर-धातु खनिज भंडार (पत्थर की खदान, मिट्टी और रेत के गड्ढे, रासायनिक और उर्वरक खनिज भंडार, और नमक, क्वार्ट्ज, जिप्सम, प्राकृतिक मणि पत्थर, डामर, बिटुमेन और पीट सहित) जल संसाधन, केवल एक बार पैदावार देने वाले और बार-बार पैदावार देने वाले पौधे जिनके लिए स्वामित्व अधिकार दिया जाता है, लेकिन जिसके लिए प्राकृतिक विकास या पुनरुत्पादन किसी भी संस्थागत इकाइयों के प्रत्यक्ष नियंत्रण, जिम्मेदारी और प्रबंधन के अधीन नहीं है उदाहरण के लिए अछूते जंगल और मत्स्य पालन जिनका व्यावसायिक रूप से शोषण किया जा सकता है।
49	80	अमूर्त परिसंपत्तियां	इसमें कॉपी राइट, पेटेंट, साख, बौद्धिक संपदा आदि पर किया गया व्यय शामिल होगा।

वस्तु-श्रेणी VI- वित्तीय परिसंपत्तियां			
50	54	निवेश	इसमें सरकार द्वारा शेयरों की खरीद और इक्विटी पर किया गया निवेश, प्रतिभूतियों में निवेश, सावधि और टर्म डिपॉजिट में निवेश, अन्य निवेश शामिल होंगे।
51	55	ऋण और अग्रिम	इसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल होंगे।
52	56	उधार की अदायगी	इसमें सरकार द्वारा उधारी का पुनर्भुगतान शामिल होगा।
53	57	अभिदान	इसमें पूंजीगत स्वरूप के सरकार द्वारा दिए गए अभिदान शामिल होंगे।
54	60	अन्य पूंजीगत व्यय	इसमें अन्य सभी पूंजीगत व्यय शामिल होंगे जिन्हें उपरोक्त किसी भी पूंजी वस्तु शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
(ग) - लेखा समायोजन			
वस्तु-श्रेणी VII- लेखा समायोजन			
55	43	उचंत	इसमें खाते के अंतिम शीर्ष के अधीन समायोजन के लिए पूर्ण विवरण के अभाव में उचंत शीर्षों के अंतर्गत रखी गई रकम शामिल होगी।
56	61	मूल्यहास	इसमें वाणिज्यिक विभागों द्वारा संपत्ति पर लगाया गया मूल्यहास शामिल होगा।
57	62	रिजर्व	इसमें भंडार के उपबंध शामिल होंगे।
58	63	अंतर खाता अंतरण	इसका उपयोग एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में रकम के हस्तांतरण के लिए किया जाएगा।
59	64	हानियों को बट्टे खाते में डालना	इसमें अपरिवर्तनीय ऋण, व्यापार हानि को बट्टे खाते में डालना शामिल होगा।
60	69	प्राप्तियां घटाएं	इसमें प्राप्तियों को कम करके समायोजित की गई प्राप्ति शीर्ष से भुगतान की गई रकम शामिल होगी।
61	70	वसूलियां घटाएं	इसका प्रयोग व्यय के घटने से अधिक भुगतान को समायोजित करने के लिए किया जाएगा।
टिप्पण: परिसंपत्तियों के सुधार/ उन्नयन पर व्यय, जिसमें परिसंपत्तियों का पुनर्वास, पुनरुद्धार, पुनर्निर्धारण और भूमि, भवन, उपस्कर और अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का पट्टा शुल्क शामिल हैं, जिसका स्वामित्व सरकार को हस्तांतरणीय होगा, को संगत परिसंपत्तियों के सामने वस्तु शीर्ष श्रेणी - पूंजीगत व्यय (परिसंपत्ति) में दर्ज किया जाएगा।			

उपाबंध-II

(नियम 12 देखें)

व्यय करने के लिए सामान्य शर्तें

- (1) भारत सरकार के विभागों को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर औपचारिक मंजूरी जारी करके किया जाना है, ऐसी मंजूरी को संविधान के अनुच्छेद 77 के अधीन ऐसा करने के लिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
- (2) इन शक्तियों का प्रयोग वित्त मंत्रालय और अन्य नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे नियमों, आदेशों या प्रतिबंधों के अधीन किया जाना चाहिए और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अर्थव्यवस्था निर्देश, राजकोषीय संहिताएं और प्रक्रियाएं और वर्ष के लिए बजटीय आवंटन के भीतर की सीमा वित्तीय सीमाएं सामान्य वित्तीय नियमों, एफआर और एसआर के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।

- (3) किसी प्राधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों से अधिक आपातकालीन स्थिति में पहले से ही किया गया व्यय अनियमित व्यय माना जाना चाहिए। आकस्मिक परिस्थितियों में किसी भी अनियमित व्यय को वित्तीय सलाहकार की सहमति और प्रशासनिक सचिव के अनुमोदन से *कार्योत्तर मंजूरी* जारी करके नियमित किया जाना चाहिए। तथापि, इन शक्तियों का प्रयोग उन क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए जहां शक्तियां मंत्रिमंडल के पास निहित हैं।
- (4) जहां तक व्यय के मामलों का संबंध है, अधीनस्थ प्राधिकारी पूंजीगत व्यय के संबंध में उन्हीं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि वे राजस्व व्यय के संबंध में कर सकते हैं, उन वस्तुओं को छोड़कर संबंधित केंद्रीय सरकार के विभाग राजस्व व्यय द्वारा जहां शक्तियां विशेष रूप से के सीमित हो सकती हैं।
- (5) अपने पद के अतिरिक्त किसी पद के वर्तमान कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी पद के पूर्ण पदाधिकारी में निहित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
- (6) असामान्य व्यय को मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करते समय, केंद्रीय सरकार के विभागों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और नई लाइनों या नए प्रकार की वस्तुओं पर व्यय की वृद्धि को प्रतिबंधित करना चाहिए।
- (7) विधिक प्रभारों पर व्यय आम तौर पर केवल विधि मंत्रालय की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा, उन आरोपों को छोड़कर, जिनकी दरें विधि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं।
- (8) वाहन किराये पर व्यय के लिए वित्तीय सीमाएं और दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सीमा निर्देशों के अनुसार होंगे और समय-समय पर संशोधित होंगे।
- (9) कार्यालय आवास और आवासीय उद्देश्यों के लिए भवनों को किराये पर लेना - आम तौर पर, केंद्रीय सरकार के विभागों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/संपदा निदेशालय/ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के परामर्श से किराये पर आवास लेना होता है। जहां भी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सामान्य पूल आवास प्रदान किए जाते हैं, वहां विभागों द्वारा किराये का सहारा नहीं लिया जा सकता है। किराए की तर्कसंगतता, आवास का क्षेत्र, किराये की अवधि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/संपदा निदेशालय/ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। कार्यालय और आवासीय उद्देश्यों के लिए विदेश में आवास किराए पर लेने के लिए, किराए की सीमा विदेश मंत्रालय द्वारा उस मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से तय की जा सकती है।
- (10) सरकारी उपयोग के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जीएफआर में उल्लिखित प्रावधानों और प्रासंगिक नियमों और अधिनियम, जैसा भी मामला हो, के अनुसार किया जाएगा। हालाँकि, केंद्रीय सरकार के विभाग भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं, तथापि, इस उद्देश्य के लिए एक अलग बजट स्वीकृत हो। ऐसी खरीदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/संपदा निदेशालय/ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन होगी कि इस उद्देश्य के लिए कोई केंद्रीय सरकार की भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि की खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित कीमत की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए सरकार के संबंधित विभागों द्वारा केवल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय / केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या संबंधित राज्य सरकारों के सक्षम अधिकारियों के परामर्श से निजी पार्टी से भवनों के साथ या उसके बिना भूमि की सभी खरीद की जाएगी।
- (11) इन प्राधिकरणों से ईष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय सरकार के विभागों को न केवल सौंपी गई शक्तियों का पूरा उपयोग करना चाहिए, बल्कि बाद की आवश्यकताओं से मेल रखने के लिए अपने अधीनस्थ संगठनों को शक्तियां पुनः प्रत्यायोजित करनी चाहिए। ऐसे पुनः प्रत्यायोजनों की पूर्ण समीक्षा कम से कम तीन वर्ष में एक बार की जानी चाहिए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

S.O. 1543(E).— In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2024.

2. Power to Relax.— The President being satisfied that it is necessary or expedient so to do may, by general or special order, -

- (a) relax all or any provisions of these rules in relation to any authority;
- (b) delegate to any authority powers in addition to the powers delegated under these rules;
- (c) reduce the powers delegated to any authority to such extent as may be specified in the order;
- (d) impose conditions in addition to those specified by these rules; and
- (e) withdraw from any authority all or any of the powers delegated under these rules.

3. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires –

- (a) **“Administrator”** means an Administrator of a Union territory, by whatever name designated, appointed under Article 239 of the Constitution;
- (b) **“Annexure”** means the Annexure appended to these rules;
- (c) **“Appropriation”** means the assignments of funds to defray charges in respect of services indicated voted or charged section;
- (d) **“Competent Authority”** means, in respect of the power to be exercised under any of these rules, the President or such other authority to which the power is delegated by or under these rules, or any other general or special rules or orders issued by the Government of India;
- (e) **“Department of the Government of India”** means any of the Ministries, Departments, Secretariats and Offices as notified from time to time and listed in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business Rules) and the Vice-President’s Secretariat;
- (f) **“Finance Ministry”** means the Department of Expenditure, Ministry of Finance of the Government of India:

Provided that in any Department of the Government of India where the Scheme of Integrated Financial Adviser is in force, the Integrated Financial Adviser of that Department, will, subject to supervision by Finance Ministry, exercise all or any of the powers delegated by Finance Ministry.

- (g) **“Head of the Department”** means an authority or person (not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India and equivalent), declared by the Department concerned, in the Government of India, as a Head of the Department (HoD) in relation to an identifiable establishment or establishments to exercise the financial powers delegated to him under these rules;
- (h) **“Head of Office”** means a Gazetted Officer designated as such, subordinate to Administrators and Heads of Departments;
- (i) **“Ministry of Finance”** means the Departments concerned with the subject matter in the Ministry of Finance;
- (j) **“Projects”** means one-time expenditure resulting in creation of capital assets or otherwise, which could yield financial or economic returns or both and such projects may either be separate or part of an approved Scheme;
- (k) **“Re-appropriation”** means transfer, by a Competent Authority, of funds from one primary unit of appropriation to another to meet additional expenditure within the same Section (Revenue Section and Capital Section) of the grant or Appropriation;
- (l) **“recurring expenditure”** means expenditure which is incurred at periodical intervals for the same purpose and the expenditure other than recurring expenditure is non-recurring expenditure;
- (m) **“Schemes”** means programmes through which Departments of the Government of India spend resources for delivering goods or, services or both.

(2) The terms and expressions used in these rules and not defined here but defined in the General Financial Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the said General Financial Rules.

4. **Provision of funds by Parliament.** -After the Appropriation Bill is passed by Parliament and assented to by the President, the amounts so authorised become available to the concerned Departments of the Government of India to meet sanctioned expenditure.

5. **General conditions on powers to sanction expenditure.**-(1) No Authority shall sanction expenditure or advances without the previous consent of the Finance Ministry if it involves the introduction of a new principle or practice likely to lead to increased expenditure in future.

(2) A Subordinate Authority shall exercise the power to sanction expenditure subject to any general or special order or direction which the authority delegating or re-delegating such power may issue or prescribe from time to time.

6. **Residuary financial powers.**-All financial powers, not specifically delegated to any authority by these rules including creation and abolition of posts, shall vest in the Finance Ministry.

7. **Sanction of expenditure.**-(1) All expenditure shall require both, sanction and Appropriation. Expenditure can be incurred against a sanction only when funds are made available to meet the expenditure or liability by valid appropriation or Re-appropriation.

(2) A sanction to recurring expenditure or liability becomes operative when funds to meet the expenditure or liability of the first year are made available by valid Appropriation or Re-appropriation or by an advance from the Contingency Fund, as the case may be, and remains effective for each subsequent year subject to appropriation in such years and also subject to the terms of the sanction.

8. **Primary unit of appropriation.**-(1) A grant or Appropriation for charged expenditure is distributed by standard Object Heads under which it shall be accounted for and each such standard Object Head, against which the provision for expenditure appears, constitutes a primary unit of appropriation. The primary unit of appropriation is the lowest unit of accounting classification denoting the objects of expenditure.

(2) The primary unit may include provision for both voted and charged expenditure and in that case the amount of each is shown separately.

(3) The primary units of appropriation or standard Object Heads shall be as specified by Finance Ministry from time to time. A list of standard Object Head is at Annexure-I.

(4) The Finance Ministry may add, delete or amend the primary units of appropriation or prescribe an entirely different set of such units.

(5) The departments of the Government of India shall keep in view the following with regard to the numeric codification for preparation of the Detailed Demands for Grants, namely:-

- (i) the number of tiers of classification in the Detailed Demands for Grants shall be the standard six tiers indicated in the table below:

Sl. No.	Type of Head	Codification
(1)	(2)	(3)
1.	Major Head	-4 digits(Function)
2.	Sub-major Head	-2 digits(Sub-function)
3.	Minor Head	-3 digits(Programme)
4.	Sub-head	-2 digits(Scheme)
5.	Detailed Head	-2 digits(Sub-scheme)
6.	Object Head	-2 digits(Primary unit of Appropriation or Object Head)

(ii) the numeric code numbers assigned by the Controller General of Accounts for Major, Sub-major, Minor Heads, Sub-heads and Detailed Heads for the Union and States shall be followed in the Detailed Demands for Grants;

(iii) the distinction between Revenue and Capital Expenditure shall be as defined in the Government Accounting Rules and the General Financial Rules.

9. **Allotment of Funds.**—The Departments of Government of India or authority on whose behalf a grant, or Appropriation for charged expenditure is authorised by Parliament shall distribute the sanctioned funds, where necessary, among the controlling and disbursing officers subordinate to it.

10. **Appropriation and Re-Appropriation – General Restrictions.**—

(1) Save with prior approval of the Parliament, funds shall not be appropriated or re-appropriated to meet expenditure on a New Service or New Instrument of Service (NS or NIS) not contemplated in the budget as approved by Parliament. For deciding whether a case relates to a New Service or New Instrument of Service and for determining whether prior approval of Parliament is required or it is to be reported to Parliament along with the next batch of supplementary demands, the financial limits prescribed by the Budget Division, Department of Economic Affairs, from time to time shall be referred to.

(2) Funds shall not be appropriated or re-appropriated to meet expenditure which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it.

(3) Funds shall not be appropriated or re-appropriated to any work which has not received administrative approval and technical sanction as prescribed by Government of India from time to time.

(4) Funds provided for charged expenditure shall not be appropriated or re-appropriated to meet voted expenditure and funds provided for voted expenditure shall not be appropriated or re-appropriated to meet charged expenditure.

(5) No Re-appropriation shall be made from one grant or Appropriation for charged expenditure to another Grant or Appropriation for charged expenditure.

(6) No Re-appropriation can be made from Capital to Revenue Section of the Grant or vice versa.

(7) No Re-appropriation can be made from an appropriation already augmented through a Supplementary Demand for Grant passed by the Parliament or under the provisions of this rule.

(8) No Re-appropriation can be made from savings under an activity for which a Contingency Fund Advance has already been obtained during the course of the financial year.

Powers of Administrative Ministries or Departments

(9) Subject to the provisions above, Chief Accounting Authorities of Administrative Ministries or Departments shall have the following powers, namely:—

(i) To augment the provisions of the heads ‘Salaries’, ‘Allowances’, ‘Wages’, ‘Pensionary Charges’, ‘Medical Expenses’ and ‘Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings’ through Re-appropriation.

(ii) To re-appropriate funds from the Object head ‘Salaries’ to the Object head ‘Salaries’ across the schemes.

(iii) To augment provisions already approved by Parliament through the Supplementary Demands for Grants.

(iv) To re-appropriate funds from lump-sum provision for northeast areas to concerned schemes. However, this delegation of powers is limited to re-appropriation of funds from lump-sum provision to the scheme for the benefit of Scheme or programs in the northeast areas alone.

(v) To appropriate or re-appropriate to any work, to cover excess of expenditure over authorised sanctioned financial limits up to 20 %, subject to such excess expenditure being approved by the Competent Authority.

(vi) To augment a budget provision, under any line item ending at an object head, to such limits permitted by Ministry of Finance through its various specific or general orders issued from time to time.

(vii) Ministries or Departments are required to exercise the powers delegated under these rules for re-appropriation of funds in consultation with the respective Financial Advisors, who shall ensure that the provisions of these rules are strictly adhered to.

Cases requiring prior approval of Ministry of Finance

(10) Notwithstanding anything contained in this rule, except with the previous consent of the Budget Division with concurrence of Secretary (Expenditure):—

(i) No Re-appropriation of funds shall be carried out to meet expenditure in the Revenue Section from savings under grants-in-aid to States or Union territories.

(ii) No Re-appropriation of funds shall be made between Capital Outlay and loans or vice-versa, in Capital Section;

(iii) No Re-appropriation of funds shall be made from ‘Salaries’ or ‘Allowances’ head to any other “primary unit of appropriation”.

(iv) No Re-appropriation shall be made from provisions made for Externally Aided Projects (EAPs) to Non-Externally Aided Projects.

- (v) No Re-appropriation shall be made from and to the provision for Secret Service Expenditure. In case of augmentation by 25% or more of the original provision, prior approval of C&AG would also be required.
- (vi) No Re-appropriation shall be made from the primary unit "Buildings and Structures/ Infrastructure Assets/ Other Fixed Assets" to any other unit.
- (vii) No Appropriation or Re-appropriation shall be made to any work, to cover excess of expenditure over authorized financial limits beyond 20%.
- (viii) No Re-appropriation having the effect of augmenting a budget provision, under any line item ending at an object head, shall be made beyond the limits prescribed by the Ministry of Finance through its various specific or general orders issued from time to time.
- (ix) No Re-appropriation of funds to a head from which funds were previously redirected or re-appropriated to another head.

11. **Indents, contracts and purchases.**—(1) Subject to the provisions of these rules and the provisions of the General Financial Rules, governing the procurement of goods and services, a Department of the Government of India shall have full powers to sanction expenditure for purchases and for execution of contracts.

(2) The powers under this rule shall be exercised by the Secretary of the Department concerned up to rupees one hundred crores for open or limited tender contracts,

(3) The powers under this rule shall be exercised by the Secretary of the Department concerned up to rupees twenty-five crores for negotiated or single tender or proprietary contracts and agreements.

(4) Contracts or purchases, the amount of which exceeds the value stated in sub-rule (2) and (3) of this rule, in the categories stated, shall require the approval of the Minister in charge of the Department.

(5) Subject to the provisions of these rules, Secretaries of the Departments of Government of India may, by general or special order, confer powers not exceeding those vested in them as specified in Sub-rule (2) and (3) of this rule and Rule 13 upon an Administrator or Head of the Department or any other authority subordinate to him in consultation with the Financial Advisor of the Department or Ministry.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3) and (4), in cases where powers to award contract or purchase or consultancy in a Project or Scheme has been considered and allowed by Public Investment Board (PIB) or Expenditure Finance Committee (EFC) or Cabinet, as the case may be, such cases will be processed as per the financial limits laid down for sanction of such Schemes or Projects by that Authority.

12. **Powers of Subordinate Authorities.**—(1) Subject to the provisions of these rules, the Departments of the Government of India, shall, in case of the Appropriation and Re-appropriation, have full powers for incurring revenue and capital expenditure.

(2) A Department of the Central Government may, by general or special order, confer powers, not exceeding those vested in that Department, upon an Administrator or Head of Department or any other authority subordinate to the Department in respect of any matter covered by these rules, in consultation with the Internal Financial Adviser:

Provided that no power under this sub-rule shall be re-delegated by the Department in respect of -

- (a) Rule 10-Re-appropriation of funds;
- (b) Rule 15- Waiver of recovery of overpayment made to Government servants; and
- (c) Rule 16- appraisal and approval of Schemes or Projects.

(3) The Administrator or Head of the Department referred to in sub-rule (2) may, by an order in writing, authorise a Gazetted Officer serving under him to exercise to such extent, as may be specified in that order, all or any of the powers conferred on such Administrator or Head of the Department under sub-rule (2). The Administrator or Head of the Department shall, however, continue to be responsible for the correctness, regularity and propriety of the decisions taken by the Gazetted Officer so authorised.

(4) Departments of the Government of India Administrators and Heads of the Departments shall have the power to declare any Gazetted Officer subordinate to them as the Head of the Office for the purpose of these rules:

Provided that the Head of Office shall exercise such powers as delegated by the Department, Administrator or Head of Department and as provided in the rules for the time being in force:

Provided further that not more than one Gazetted Officer shall be declared as Head of Office in respect of the same office or establishment, unless such office or establishment is distinctly separate from one another.

(5) Any authority empowered by or under these rules to incur revenue or capital expenditure shall exercise such powers subject to the provisions contained in the General Financial Rules, subsidiary instructions and orders on the subject issued by Finance Ministry including restrictions and scales, issued from time to time by the concerned Department and General Conditions as given in the Annexure-II.

(6) The power delegated under these rules can also be exercised for a validation of an action already taken or expenditure or liability already incurred even when the authority validating the action or expenditure or liability, as the case may be, had no competence to do so at the time the action was taken or expenditure or liability was incurred.

13. **Powers of Subordinate Authorities to write off loss.**—The power of Subordinate Authorities to write off losses shall be as per the conditions and limits as may be specified by the Finance Ministry from time to time.

14. **Insurance of Government property.**— Government property, both movable and immovable, shall not be insured and no Subordinate Authority shall undertake any liability or incur any expenditure in connection with the insurance of such property without the previous consent of the Finance Ministry, except in the cases where relaxation is provided by that Ministry from time to time.

15. **Waiver of recovery of overpayment made to Government servants.**—(1) A Department of Government of India, an Administrator and any other Subordinate Authority to the Department, to whom powers may be delegated by or under special order of the President, may waive the recovery of an amount found to have been overpaid mistakenly to a Government servant, in excess of their entitlement, subject to the following conditions, namely: -

- (i) the amount disallowed has been drawn by the Government servant concerned under a reasonable belief that he was entitled to it; and
- (ii) if, in the opinion of the aforesaid authority –
 - (a) recovery will cause undue hardship; or
 - (b) recovery is impossible.

(2) A Department of Government of India may waive recovery of overpayment upto Rs. 2,00,000/- in the case of each individual with the concurrence of Financial Advisers of the Department. Proposals for waiver of recovery of amount greater than Rs. 2,00,000/- in each case shall be referred to the Finance Ministry for concurrence.

(3) For the cases of waiver of recovery, the Departments of the Government of India will examine whether over payment has been made on account of fraud, misrepresentation, collusion, favouritism, negligence or carelessness on the part of those responsible for over payments and the employees who benefitted from such actions. All proposals of waiving of recovery will be accompanied by a report in this regard duly approved by the disciplinary authority.

16. **Expenditure on Schemes or projects.**— (1) Without prejudice to the provisions of rule 12, a Department of the Government of India may sanction expenditure on any scheme, project, as per the powers delegated from time to time by the Finance Ministry, subject to its outlay having been approved by the Competent Authority in accordance with the appraisal and approval process prescribed by the Finance Ministry from time to time and the power of appraisal and approval under this rule shall not be delegated.

(2) In cases where the award of contract or purchase or consultancy is inseparably linked with the Scheme, such expenditure will be processed as per the financial limits laid down for sanction of such Schemes or projects by the authority competent to approve such Schemes or Projects.

17. **Grants-in-aid, loans, etc.**—Departments of the Government of India and Administrators shall have full powers to sanction grants in aid including scholarships and loans:

Provided that, –

- (a) such grants in aid including scholarships are in accordance with the rules or principles prescribed with the previous consent of the Finance Ministry and a certificate to that effect is included in the sanction;
- (b) the rate of interest on a loan and the period of payment thereof are fixed with the previous consent of the Ministry of Finance unless the rate of interest on such loan and the period of repayment thereof are prescribed in any general or special order of the Department of the Government of India.

18. **Trading operations.**— Notwithstanding anything contained in these rules, all proposals-

- (a) for the purchase of commodities not intended for Government consumption, but for sale or issue to the public, State governments or any other agency;
- (b) for fixing of prices in respect of direct trading operations of Government; and
- (c) from Government companies and undertakings which may be referred to the Government for fixation of prices for their products or stocks,

shall be referred to the Ministry of Finance for concurrence before approval:

Provided that proposals under clause (a) and (b), may not be referred to the Ministry of Finance for concurrence, if the value of the transaction is below Rupees 25crore.

Explanation – In this rule, “Government Company” has the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

19. **Dismantlement of public buildings.**— Subject to the conditions set out below, the Departments of the Government of India and Administrators shall have full powers to sanction dismantlement of public buildings (other than purely temporary structures), provided these powers are exercised with the concurrence of their Financial Advisers.

Conditions:

- (i) No public building shall be dismantled unless it has been previously ascertained that it is not required by any other Department of the Government of India
- (ii) No public building shall be demolished unless it is structurally in a dangerous condition or it is beyond economic repairs and has been certified as such by appropriate technical authority or it is necessary to vacate the site for constructing a more important Government building or structure.
- (iii) A public building, the dismantlement of which is sanctioned in exercise of the power conferred by this rule, shall be disposed of by public auction through the Central Public Works Department or the local Public Works Department in areas where the Central Public Works Department does not operate unless specific prior approval of the Competent Authority is taken for disposal of buildings to an identified party.
- (iv) The Departments or Ministries of the Government of India and Administrators shall have full powers to sanction dismantlement of purely temporary structures.

Explanation – for the purposes of this rule, “a purely temporary structure” mean a structure, the life of which is not more than two years.

20. **Communication of sanctions to audit.**— (1) Whenever the consent or sanction of the Finance Ministry is required under these rules, such consent or sanction shall be communicated to the audit or Pay and Accounts Officer concerned by a Department of the Government of India itself after adding a clause to the sanction as follows:-

“This order / memorandum issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), vide their O.M./ U.O. No.....dated.....”.

(2) Whenever a financial sanction is issued by a Department of the Government of India in exercise of the powers conferred on it by these rules in consultation with its Internal Financial Adviser or Integrated Financial Adviser and approval of competent authority, it shall be communicated to audit/ Pay and Accounts Officer concerned by the Department concerned by adding a clause of the sanction as follows:

“This sanction issues with the approval of competent authority. The advice of Internal Finance / Integrated Finance was conveyed vide Dy. No./ U.O. No.....dated.....”.

21. **Repeal and savings.**— (1) The Delegation of Financial Powers Rules, 1978, is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect anything done, any order issued, any action taken or any powers exercised before coming into force of the Delegation of Financial Powers Rules, 2024 and all sanctions, orders, declarations or other action taken before the commencement of these rules shall continue to be operative and in force even after the commencement of these rules, unless specifically cancelled or revoked by the authority who accorded such sanction or issued such order or took such action:

Provided further that all delegations made to any authority under special orders of Government shall also continue to remain in force unless specifically revoked by the President.

(2) Nothing contained in these rules shall apply to –

- (a) the Ministry of Railways and authorities subordinate to that Ministry;
- (b) the Ministry of Defence and authorities subordinate to that Ministry in relation to expenditure debitable to Defence Services Estimates.
- (c) the Departments of Atomic Energy and Space;
- (d) the Department of Telecommunications;
- (e) the Government of India's representatives abroad whose powers shall be determined in accordance with the rules or orders issued separately in consultation with the Finance Ministry.

Note 1.—The Ministry of Railways, Ministry of Defence and authorities subordinate to that Ministry and Departments of Atomic Energy, Space and Telecommunications are required to align their Primary units of Appropriation as far as possible on the lines provided in rule 8.

[F. No. 01(14)/2016-E.II(A)]

AVINASH K. NILANKAR, Dy. Secy.

Annexure-I
(See rule-8)

Sl. No	Code	Object Head	Description / Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
(A) Revenue Expenditure			
Object Class 1- Compensation to Employees			
1.	01	Salaries	It will include pay of the Government employees as defined under FR 9(21), honorarium to Government servant and stipend to interns. It will also include expenditure on emoluments and allowances of Heads of States and other high dignitaries including Sumptuary Allowance, salary payable to the staff of Departmental canteens and leave encashment on LTC.
2.	02	Wages	It will include wages of labourers and of staff at present paid out of contingencies.
3.	05	Rewards	It will include rewards under a scheme given to the Government employees in addition to their pay and allowances. It will also include payment of bonus and cash awards for Hindi Pratiyogita, etc.
4.	06	Medical Treatment	It will include amount paid towards medical reimbursements /treatment of the Government employees/ pensioners.
5.	07	Allowances	It will include as applicable the Dearness Allowance, House Rent Allowance, Transport Allowance, Foreign Allowance, Non Practicing Allowance, Deputation (Duty) Allowance, Personal Pay, Family Planning Allowance, Special Compensatory (Hill Areas) Allowance, Tribal Area Allowance, Hard Area Allowance, Headquarter Allowance, Overtime Allowance, Children Education Allowance, Reimbursement of Tuition Fee, Ration Allowance, Cost of Ration given in cash, Constituency Allowance, Uniform and Clothing Allowance, Entertainment Allowance, Project Allowance, Special Compensatory (Remote Locality) Allowance, Bad Climate Allowance, Washing Allowance, Special (Duty) Allowance, Night Duty Allowance, Risk Allowance, Sunderban Allowance, Cash Handling Allowance, Caretaking Allowance, Split Duty Allowance and any other allowance in addition to above which is payable to the Government employees in addition to their pay.
6.	08	Leave Travel Concession	It will include air/rail/bus fare/fare of any other mode of transport entitled under LTC Rule.
7.	09	Training Expenses	It will include expenditure on cost of training such as fees paid, contingencies, materials, etc., for participating in the training, workshops but exclude expenditure on domestic or foreign travel expenses.
Object Class II-Social Security of Employees			
8.	04	Pensionary Charges	It will include all pensionary benefits including payment of pensions and gratuity in all forms to the Government employees, members of Parliament, freedom fighters, etc. It will also include contributions to service funds and contributory provident funds and payment of leave encashment at the time of retirement or death, termination of service, etc. It will also include Government's contribution payable under National Pension System(NPS) for Government employees. This will, however, not include social security expenditure such as old age pension.
Object Class III - Goods and Services			
9.	11	Domestic Travel Expenses	It will include travel expenses on official tours and transfers of the Government employees within India. This will also include expenditure on TA/ DA to non- official members on account of

			travel in India. It will also include transfer TA payable to pensioners at the time of retirement.
10.	12	Foreign Travel Expenses	It will include expenses on official tours and transfers of the Government employees outside India. This will also include expenditure on TA/ DA to non- official members going on official tour abroad.
11.	13	Office Expenses	It will include all recurring and non-recurring contingent expenses incurred for the maintenance of office establishment such as, stationery, postage charges, courier charges, telephone charges, internet charges, cable connection charges, electricity charges, water charges, service agreements, security, expenditure relating to hiring of retired Government servants on short term contract basis, outsourced office attendants, office assistants/Data Entry Operators(DEO), house-keeping, liveries/uniforms, hot and cold weather charges, pest control, refreshment, books and periodicals, hospitality expenses including entertainment of foreign delegates, gifts and souvenirs and conferences/ seminars/workshops/meetings convened by office including all related expenses on study material/ kits, refreshments, study tours, etc. It will also include purchase of office equipment, furniture and fixtures not exceeding the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, as decided by the Government from time to time. The office equipment and furniture and fixtures exceeding the threshold limit as decided by the Government from time to time should be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Head 'Machinery and Equipment' and 'Furniture and Fixtures'. Purchase of vehicles, however, irrespective of its usage (office or otherwise) should be classified as 'capital' expenditure under the relevant capital Object Head 'Motor Vehicles'.
12.	14	Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings	It will include expenditure on rent for buildings (non-residential or residential or structures other than buildings), municipal rates and taxes and lease charges for rented land and buildings, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for land and buildings, the ownership of which is transferable to Government, will be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Heads 'Land' and 'Buildings and Structures'.
13.	15	Royalty	It will include expenses on royalties on patents, designs, trademarks, print, publishing, music, etc.
14.	16	Printing and Publication	It will include expenses on printing of valuables, printing of audit and accounts reports, forms, stationery, office codes, manuals and other documents, newspaper and magazines including e-books, e-magazines, digital printing, pen drive, CD, etc., but exclude expenses on printing of publicity material which shall be classified under Advertising and Publicity.
15.	18	Rent for others	It will include expenses on rent for equipment and other various items like office equipment, transport, computer and ancillary equipment, communication equipment, air-conditioning, heating and refrigerating equipment, security equipment, broadcasting and recording equipment, construction equipment, agricultural equipment, horticultural equipment, medical equipment, furniture and fixtures. It will also include lease charges for equipment and other items, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for

			equipment and other items, the ownership of which is transferable to Government will be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Heads.
16.	19	Digital Equipment	It will include expenses to be classified as revenue expenditure on procurement or development of hardware and software where the cost of individual item does not exceed the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two as decided by the Government from time to time. The threshold limit will, however, not apply to the consumables like toner and cartridge for printer shall be classified under revenue expenditure.
17.	21	Materials and Supplies	It will include expenses on various kinds of supplies, materials and stores etc., such as., medical supplies, educational supplies, agricultural supplies, livestock supplies, cleaning materials, hospital drugs and medicines, veterinary drugs, chemicals and fertilizers, lab supplies, spare parts, clothing and tentage.
18.	22	Arms and Ammunition	It will include revenue expenditure on arms and ammunitions on police and other para-establishments.
19.	23	Cost of Ration	It will include expenditure on procurement of ration provided to police and central armed police forces.
20.	24	Fuels and Lubricants	It will include expenditure on petrol, oil, lubricants and other fuels like CNG, diesel, etc.
21.	26	Advertising and Publicity	It will include expenses including commission to agents for sale and printing of publicity material on advertising and publicity through various media such as print media, TV media or outdoor media or Internet or mobile network or other audio-visual publicity or fairs and exhibition.
22.	27	Minor civil and electric Works	It will include expenditure on repairs and maintenance of minor civil and electrical works of office buildings, residential buildings, other buildings and expenditure on running operation and maintenance (ROM) of diesel genset, etc., maintained by the CPWD.
23.	28	Professional Services	It will include expenses on engagement of professionals, consultants, artists, banks, etc., for providing services to the Government which include legal services, consultancy fees, audit fees, teaching and training Fees, payments to artists, remunerations to question setters or invigilators or guest speakers, payments to other departments for services rendered, payment or expenses to agencies for conducting departmental examination.
24.	29	Repair and Maintenance	It will include expenses on repair and maintenance (including all maintenance contract) of equipment such as machinery and equipment, office equipment, equipment for other functional use, digital equipment for office use, digital equipment for functional use, furniture and fixtures for office, furniture and fixtures for other functional use, vehicles (including motor vehicles and non motor vehicles like bicycle, rickshaw, carts, trolleys and boat, etc., for office or functional use), infrastructural assets (It will include expenses on preventive, operating maintenance of Infrastructural assets other than minor civil and electrical works like lines, bridges, rolling stocks of railways, roads, highways, ports, ships, aircrafts, helicopters, radars, hovercrafts, airports or other infrastructures), tools and plants, arms and ammunitions, etc., but exclude expenditure on upgradation, midlife rehabilitation, retrofitting and/or reconditioning.

25.	39	Bank and Agency charges	It will include bank service charges, agency charges, MDR charges, direct benefit transfer charges to banks and any other charges for convenience fee performing monetary transactions.
26.	40	Awards and Prizes	It will include expenses on awards and prizes given by the Government to the eminent persons and organisations.
Object Class IV- Aid and Assistance			
27.	31	Grants-in-aid - General	It will include Grants-in-aid released for payments other than salaries and creation of capital assets. It will also include expenditure on welfare activities.
28.	32	Contribution	It will include the contributions made to international or national organisations related to membership. This will not include transfers made to autonomous bodies or PSUs or PSBs for corpus funds.
29.	33	Subsidies	It will include subsidies released under various schemes of the Government.
30.	34	Scholarships	It will include the amount of scholarship released to various institutions or organisations or beneficiaries or individuals.
31.	35	Grants for creation of Capital Assets	It will include Grants-in-aid released for payment for creation of capital assets. It will also include Viability Gap Funding (Expenditure on the projects run under Viability Gap Funding Scheme).
32.	36	Grants-in-aid - Salaries	It will include grants-in-aid released for payment of salaries.
33.	37	Aid Material and Equipment	It will include value of aid material and equipment transferred to Ministries or Departments or other Governments or organisations. It will also include grants given in kind to grantee bodies.
Object Class V-Misc. Revenue Expenditure			
34.	41	Secret Service Expenditure	It will include expenses on secret services.
35.	44	Loss in Exchange	It will include the loss due to difference in the rate of exchange of foreign currency in Indian rupees. The loss due to difference in the rate of exchange at the time of receipts loans from foreign resources and repayment thereof shall also be debited under this Object Head.
36.	45	Interest Payments	It will include payment of interest on capital and discount on loans.
37.	49	Other Revenue expenditure	It will include payment out of discretionary grant, other discounts, fees and fines, custom duty compensation, commitment charges, notional value of gifts, re-imbursement of newspapers purchased or supplied to officer's residence and purchase or re-imbursement of briefcase or ladies purse to Government servants', etc. Any other expenditure which cannot be classified under any of these specified object heads will be debited to this head. It will also include expenditure in respect of schemes, sub-schemes or organisations not elsewhere classified.
(A) Capital Expenditure (Assets)			
Object Class-VI-Non-Financial Assets (Fixed and Intangible Assets)			
38.	51	Motor Vehicles	It will include procurement of motor vehicles on road like buses, cars, trucks, motorcycles, irrespective of their usage.

39.	52	Machinery and Equipment	It will include procurement of machinery and equipment (other than motor vehicles and ICT equipment), electrical and electronic equipment, medical appliances, precision and optical instruments, watches and clocks, musical instruments and sports goods etc., cost of which exceeds one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, need to be booked under this head.
40.	71	Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment	It will include procurement of information, computer, telecommunications (ICT) equipment such as computer hardware and telecommunications devices (computer/laptops, projectors, etc.) and computer software exceeding the threshold limit of one lakh rupees or 3 years of useful life, either of the two, electromagnetic spectrum which is used in the transmission of sound, data and television.
41.	72	Buildings and Structures	It will include office buildings, residential buildings, other buildings and structures like hospitals, laboratories, auditorium, light houses, shelters etc., public monuments like statues, fountains established at public places, and land improvement.
42.	73	Infrastructural Assets	It will include procurement of infrastructural assets such as roads, bridges, tunnels, irrigation projects, power projects, sports infrastructure, water and sewage projects, railway assets, ships, ports, satellites, satellite launch vehicles, airports, aircrafts, motor boats, railway locomotives and rolling stock, other infrastructural projects (include cable lines, sewage systems, rain water harvesting, solar systems, telecom towers, transmission lines and electricity towers, etc).
43.	74	Furniture & Fixtures	It will include expenditure on purchase of furniture and fixture exceeding threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, for office use and functional use.
44.	75	Arms and Ammunitions (Capital)	It will include procurement of arms and ammunitions of capital nature.
45.	76	Upgradation Procurement of Heritage Assets and n.e.c.	It will include rehabilitation, overhaul, retrofitting of heritage asset recognised and recorded in the asset register at the nominal value of Rs. 1/- and upgradation 'not elsewhere classified'. It will also include expenditure on procurement of items of fine art and of cultural and archaeological importance.
46.	77	Other Fixed Assets	It will include procurement of other fixed assets like library books and publications, trees, crops and plants, whose natural growth and regeneration is under the direct control, responsibility and management of institutional units, non-motor vehicles like bicycle, rickshaw, cart, trolleys, boat, etc.
47.	78	Land	It will include land consisting of the ground, land for office and residential building, including the soil covering and any associated surface waters (reservoirs, lakes, rivers and other inland waters over which ownership rights can be exercised).
48.	79	Non-produced assets other than land	It will include mineral and energy reserves located on or below the surface of earth including deposits under the sea like oil, natural gas, coal, metallic ores including ferrous, non-ferrous and precious metal ores), non-metallic mineral reserves (including stone quarries, clay and sand pits, chemical and

			fertilizer mineral deposits, and deposits of salt, quarts, gypsum, natural gem stones, asphalts, bitumen, and peat), water resources, plants that yield both once-only and repeat products over which ownership rights are enforced but for which natural growth or regeneration is not under the direct control, responsibility, and management of any institutional units such as virgin forests and fisheries that are commercially exploitable.
49.	80	Intangible Assets	It will include expenditure on copy right, patents, goodwill, intellectual property, etc.
Object Class VI- Financial Assets			
50.	54	Investment	It will include investments made by the Government on purchase of shares and equity, investment in securities, investment in fixed and term deposits, and other investment.
51.	55	Loans and Advances	It will include loans and advances given by the Government.
52.	56	Repayment of borrowings	It will include repayment of borrowings by the Government.
53.	57	Subscription	It will include subscriptions made by the Government of capital nature.
54.	60	Other Capital expenditure	It will include all other capital expenditure which cannot be classified any of the above capital object head.
(C) -Accounting Adjustments			
Object Class VII-Accounting Adjustments			
55.	43	Suspense	It will include the amount kept under suspense heads for want of complete details for adjustment under final head of account.
56.	61	Depreciation	It will include depreciation charged on the assets by commercial departments.
57.	62	Reserves	It will include the provisions of reserves.
58.	63	Inter Account Transfers	It will be used for transfer of amount from one head to another
59.	64	Writes Off of Losses	It will include write off of irrecoverable loans, trading losses.
60.	69	Deduct Receipts	It will include amounts paid from the receipt heads by adjusting as reduction in receipts.
61.	70	Deduct Recoveries	It will be operated to adjust the overpayments in reduction of expenditure.
Note. -The expenditure on improvement/ up gradation of assets, which include rehabilitation, overhaul, retrofitting of assets and lease charges of land, buildings, equipment and other non-financial assets, the ownership of which is transferable to Government, will be booked under the object head class – Capital expenditure (Assets) against relevant assets.			

Annexure -II**(See rule 12)****General Conditions for incurring Expenditures**

- (1) The powers delegated to the Departments of the Government of India are to be exercised by the issue of formal sanctions in the name of the President, such sanctions being authenticated by the officers authorised to do so under article 77 of the Constitution.
- (2) These powers are to be exercised subject to such rules, orders or restrictions issued by the Finance Ministry and other nodal Ministries / Departments from time to time and the financial limits being in accordance with provisions of General Financial Rules (GFR), Fundamental Rules & Supplementary Rules, economy instructions issued by Finance Ministry, Fiscal Codes and procedures and the limit being within the budgetary allocation for the year.
- (3) Expenditure, already incurred under an emergent situation by an authority in excess of its powers should be treated as irregular expenditure. Any irregular expenditure under emergent situations should be regularised by issue of an ex post facto sanction with the concurrence of Financial Adviser and approval of Administrative Secretary. These powers should, however, not be exercised in respect of areas where powers vest with the Cabinet
- (4) In so far as matters of expenditure are concerned, subordinate authorities can exercise the same financial powers in respect of capital expenditure as they can exercise in respect of revenue expenditure, except in case of those items where the powers may be specifically restricted to revenue expenditure by the Department of the Government of India concerned.
- (5) An officer appointed to perform the current duties of a post in addition to his own can exercise financial powers vested in the full-fledged incumbent of the post.
- (6) In exercising powers to sanction unusual expenditure, Departments of Government of India should exercise due care and restrict the growth of expenditure on new lines or new types of items.
- (7) Expenditure on legal charges shall ordinarily be incurred only with the previous consent of the Ministry of Law and Justice except for charges, the rates of which are notified by the Ministry of Law and Justice from time to time.
- (8) The financial limits and guidelines for expenditure on conveyance hire would be in accordance with the extant instructions issued by Finance Ministry.
- (9) Renting of buildings for office accommodation and residential purposes – Normally, Departments of Government of India are to take on rent, accommodation in consultation with Central Public Work Department/Directorate of Estates/Ministry of Housing and Urban Affairs. Wherever general pool accommodations are provided by Ministry of Housing and Urban Affairs, renting may not be resorted to by the Departments. The reasonableness of rent, area of accommodation, period of hire is to be in accordance with the guidelines of Central Public Work Department /Directorate of Estates/Ministry of Housing and Urban Affairs. For renting of accommodation abroad for office and residential purposes, the ceilings of rent may be decided by Ministry of External Affairs in consultation with Financial Adviser of that Ministry.
- (10) Land required for Government use shall be acquired in accordance with provisions mentioned in GFR and relevant rules and Act, as the case may be. However, the Departments of the Government of India may acquire land provided a separate budget is approved for this purpose. Such purchases would be subject to obtaining certificate from Central Public Work Department/Directorate of Estates/Ministry of Housing and Urban Affairs that there is no Central Government land available for this purpose. All purchases of land either with or without buildings from private party would be undertaken by the concerned Departments of Government only in consultation with Ministry of Housing and Urban Affairs / Central Public Work Department or the competent authorities of the concerned State Governments to determine the reasonableness of the price proposed to be paid for purchase of land.
- (11) In order to derive the benefit of these delegations optimally, the Departments of the Government of India should not only make full use of the delegated powers but also further re-delegate powers to their subordinate organisations to match the latter's requirements. A complete review of such re-delegations may be undertaken at least once in three years.